

मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
बल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक-एफ-19-53/2020/पी-1/31
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../...../2020

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय- "न मांग न जाँच" प्रमाण पत्र बावत्- स्व० श्री सी० के० खन्ना, सेवा निवृत्त
कार्यपालन यंत्री ।

—00—

श्री श्री सी० के० खन्ना, कार्यपालन यंत्री अधिवार्षिकी आयु पूर्ण दि. 13.012.2004 को सेवा निवृत्त हुये थे । श्री खन्ना के विरुद्ध जांच प्रकरण प्रचलित होने के कारण "न मांग न जाँच" प्रमाण पत्र जारी किया जाना संभव नहीं हो सका था ।

2/ श्री सी० के० खन्ना, से०नि० कार्यपालन यंत्री का दिनांक 01.10.2017 को निघन हो गया है ।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दि. 20.05.2009 में निर्देश है कि यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही (विभागीय जांच) लंबित रहते हुये शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाये तो, उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की जाये ।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुपालन में स्व० श्री सी० के० खन्ना, (सेवा निवृत्त) कार्यपालन यंत्री के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 07.11.2019 द्वारा म०प्र० सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम-9 के अन्तर्गत सम्पूर्ण परिवार पेंशन को प्रत्यारहित कर प्रकरण समाप्त किया गया है । अतः स्व० श्री सी० के० खन्ना, (सेवा निवृत्त) कार्यपालन यंत्री "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक १४/११/२०२०


पृ०क्र०-एफ-19-53/2020/पी-1/31

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा ।
2. संबंधित कोषालय अधिकारी.....

//2//

3. संबंधित अधिकारी, स्व0 श्री सी0के0 खन्ना, सेवा निवृत्त कार्यपालन यंत्री ए-269, शाहपुरा भोपाल (द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल)
- ✓ 4. वेब मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।
5. स्टाक पंजी ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव 22/11/20
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग, भोपाल